राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2015/888 दिनांकः– 19-11-2015

आदेश

आवासन मण्डल के पंजीकृत आवेदको/आवंटियों के कार्य का त्वरित निस्तारण की दृष्टि से पंजीकरण/आवंटन संबंधित कार्य वृत एवं स्वतन्त्र खण्ड कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत है। पंजीकरण से आवास आवंटन एवं इनके पंजीयन विलेखों के निस्तारण बाबत मुख्यालय द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों को समय–समय पर जारी नियम, आदेश एवं परिपत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप वृत/खण्ड स्तर पर ही आवेदक/आवंटियों की समस्यों के निदान एवं आवंटन संबंधी समस्त कार्यो के निस्तारण हेतु आदेशित किया हुआ है। किन्तु यह देखने में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा आवेदक/आवंटियों की समस्या का निदान निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप करने के बजाय आवेदक/आवंटियों की पत्रावलियॉ अनावश्यक रूप से मुख्यालय में मार्गदर्शन हेतु भिजवाई जाती हैं। जिससे आवेदक/आवंटियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब भी होता हैं।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/आवंटियों की पत्रावलियॉ अनावश्यक रूप से मुख्यालय में मार्गदर्शन हेतु न भिजवाई जावे, इन पत्रावलियों पर मण्डल में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाकर आवेदक/आवंटियों को सक्षम स्तर से ही सूचित किया जावे। यदि प्रकरणों में किसी प्रकार की विधिक राय एवं मुख्यालय स्तर की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करनी हो तो विस्तृत टाईप नोट टंकित करवाकर समस्त प्रकरण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगें।

आवासन प्रकोष्ठ से संबंधित प्रकरण जिनमें नीतिगत निर्णय चाहा गया हो अथवा वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत इनके निस्तारण में कोई बाधा हो तो ऐसे प्रकरण मुख्य सम्पदा प्रबंधक को प्रेषित किये जावें।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। अनावश्यक मार्गदर्शन मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी।

– sd –

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0),प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय,/तृतीय अति0 मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड............. राजस्थान आवासन मण्डल................।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक